

फर्द अहकाम

गायालय

सहायक कलक्टर बस्ती जयपुर





खरदी देवी

बनाम सोमप्रकाश

फर्दमा संख्या / वर्ष

161/2024

161/2024

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06/08/24	<p>पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर से पत्रांक अरएए/2024/9751 दिनांक 02/08/24 द्वारा अपीलार्थी की अपील विद्दी किये जाने से खारिज होने से न्यायालय को प्राप्त हुई पत्रावली रजिस्टर होकर इम्यूपको की जा रिये अंदाजती समन सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 05/09/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>लगातार</u></p>	
	08/08/24	<p>प्रार्थना पत्र बाबत मिलल तलबी का स्वीकार होने से पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थीगण/वादीगण असातन मय वकालतन उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी. बाबत विद्दी किये जाने वादपत्र पेश कर वादपत्र को विद्दा करने की अनुमति प्रदान कर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगणों/वादीगणों ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान अधिवक्ता की</p>	<p>Manish Meena   नि. खरी उर्फ शौरी  नि. खरी I.D. </p>

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>कुलदीप किशोर शर्मा जी ने की।</p> <p>प्रार्थीगण/वादीगण को प्रार्थना पत्र आदेशानुसंधानियम 1 सी पी सी पर सुना गया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थीगण/वादीगण को प्रार्थना पत्र पर सुनने के उपरान्त न्यायद्वारा को दृष्टान्त में रखते हुए पक्षकारों के मध्य सुलह हो जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विद्वा करनी की अनुमति प्रदान कि जाकर वादीगण का वाद खपतिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैलल पुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।</p> <p>(कन)</p>